

संख्या ए0बी-14017/48/92-रथ0॥ आर0आर0॥

भारत सरकार •

कार्मिक, लोक शिक्षा तथा पेंशन मंत्रालय

॥ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ॥

नई दिल्ली, दिनांक 17-11-92

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण ॥ अल्पावधिक अनुबंध/स्थानांतरण सहित ॥
द्वारा नियुक्ति के मामले में आयु-सीमा निर्धारित करना ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कई पदों से संबंधित भर्ती नियमों में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण ॥ अल्पावधिक अनुबंध/स्थानांतरण सहित ॥ द्वारा नियुक्ति करने की व्यवस्था है । ऐसे मामलों से संबंधित, जहां ऐसी भर्ती-प्रणाली की व्यवस्था है, वर्तमान निर्देशों में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण ॥ अल्पावधिक अनुबंध/स्थानांतरण ॥ द्वारा नियुक्ति के लिए पात्रता हेतु उमारी आयु-सीमा की व्यवस्था नहीं है । इसके परिणामस्वरूप कुछ ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर ली जाती है जिनका सेवा-निवृत्ति से पहले बहुत-ही थोड़ा देवाकाल रह गया होता है । अतः यह वांछनीय है कि ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति न की जाए क्योंकि इस थोड़े से शेष देवाकाल में वे उन संगठनों में, जहां उन्हें नियुक्त किया जाता है, प्रभावी रूप से अपनी भूमिका नहीं निभा पाएंगे ।

2. अतः संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग अथवा संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय, जैसा भी मामला हो, द्वारा आवेदन पत्र की अंतिम प्राप्ति तारीख का प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण ॥ अल्पावधिक अनुबंध/स्थानांतरण सहित ॥ नियुक्ति की जाने के लिए अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष से अधिक न हो । अतः इस भर्ती प्रणाली द्वारा रिक्तियां भरने के लिए आवेदन पत्र मंगवाने समय संबंधित परिपत्र में इस तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए ।

3. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने संबंधित तथा अधीनस्थ कार्यालय के ध्यान में ला दें । गृह मंत्रालय से भी अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्देशों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संघ शासित प्रशासनों के ध्यान में ला दें ।

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
• ॥ मानक सूची के अनुसार ॥ ।
2. कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
॥ 100 अतिरिक्त प्रतियां ॥ ।
3. संघ लोक सेवा आयोग ॥ 25 अतिरिक्त प्रतियां ॥ ।

20 नो. 92
॥ य0गो0 पराडे ॥
निदेशक

दूरभाष: 3011479